

Duplicate Copy
07-Aug-2018

आदेश

तिथि
Aug 4 2018

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बारामुड़ी थाना झारिया

खाता	प्लॉट	रकबा
190	659	0 एकड़, 0.66 डिसमील, 0 हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मधुसुदन गोप	पिता	इन्द्रलाल गोप

है जिन्होंने निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3864 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मधुसुदन गोप	पिता	इन्द्र लाल गोप

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एवम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुशंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान उरुपये

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद

मुनिला देवी



आवेदन की तिथि- 15/01/14
अधिसूचना तिथि- 16/01/14
निर्गत तिथि- 16/01/14

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या १२५६ (२) / 2013-14

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
31/01/14	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती. मुमुक्षु शैवी..... विद्वान् धनबाद..... साकिम त्रिलोक प्रसाद..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा. विद्वान् धनबाद मौजा नं० ७..... खाता नं० २०..... फ्लॉट नं० ३२६..... रकवा. ५२८५..... दलील सं० १२५४७..... दिनांक. २६/१२/१३..... के द्वारा श्री/श्रीमती. मुमुक्षु शैवी..... ग्रौप..... प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... 16/01/14..... को उपस्थापित करें।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>16/01/14</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>

16/01/14

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -

1. भूमि रैयती खाते की है। एवं इसका नाम शैवी धनबाद है।
2. जमावदी सं० १२५..... में विकेतान के छिक्केता के मुमुक्षु शैवी..... ग्रौप..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।
3. आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।
4. निर्बंधन धनबाद/ कलकत्ता निर्बंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को कामनार्थे जमाकर दलील को वैध कराया गया है।
5. प्रश्नगत भूमि गैर जाबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... (त्रिलोक प्रसाद)..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।

लेखापित एवं संशोधित

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

16/01/14

अंचल अधिकारी
धनबाद

16/01/14

अंचल अधिकारी
धनबाद

गांधी गांधी पांडी गांधी

21 जून 2014
प्राप्त संहिता
प्रधान कर्तव्य
प्रधान

द्वारा फोटोकॉपी
किया गया।

अलिप्तिक/टंकक

मुनिता त्रिवी